प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 07.09.2020
थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम

- थाना में सीसीटीएनएस ऑपरेटर की फर्जी नियुक्ति किये जाने मामले के 04 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे।
- आरोपियों द्वारा सुनियोजित ढंग से ऑपरेटरों की फर्जी नियुक्ति की जा रही थी।
- मामले में 16 आवेदकों से करीबन् 4.00 लाख रूपये ठगी किया गया।
- आरोपियों से कम्प्युटर, लेपटॉप, फर्नीचर एवं नगदी रकम 93,000 रूपये किया गया जप्त।

थाना कोतवाली,कवर्धा में जिला कबीरधाम के स्थानीय आवेदकगण पिन्टू कौशिक, ओमप्रकाश साहू, तेजराम मेरावी एवं अन्य साथियों ने शिकायत दर्ज कराया कि आज से करीब 02 माह पूर्व इसके परिचित के मित्र पोखराज देवांगन द्वारा बताया कि आर.जे.एन. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड को सीसीटीएनएस कार्य हेतु जिला कबीरधाम के सभी न्यायालय एवं थाना में डाटा ऑपरेटर की नियुक्ति कराये जाने का अनुबंध प्राप्त हुआ है, जिसके लिए डिप्लोमाधारी व्यक्तियों का चयन किया जाना है। पोखराज देवांगन ने बताया कि वह भी आर.जे.एन. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से रायपुर रेल्वे माल गोदाम में नौकरी लगा है। उक्त कंपनी के संचालक संदीप मेश्राम द्वारा कोई परिचित व्यक्ति हो तो अवगत कराये जाने कहा गया है। इस पर जिला कबीरधाम निवासी आवेदकगण पिन्टू कौशिक ,ओमप्रकाश साहू ,तेजराम मरावी, हरि कौशिक,बांके लाल कौशिक, धनंजय चंद्रवंशी ,सुनील चंद्रवंशी ,देवेन्द्र शर्मा, आकाश पटेल, अरूण मारकण्डेय,फागू राम साहू, मुकेश साहू द्वारा पोखराज देवांगन के बताये अनुसार दिनांक 23.06.2020 को आर.जे.एन.इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के ऑफिस बोरसी रोड न्यू कलकत्ता स्वीट्स के बाजू दुर्ग गये। वहां आर.जे.एन. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का संचालक संदीप मेश्राम के द्वारा सभी व्यक्तियों का बायोडाटा, टाईपिंग टेस्ट लेकर सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड लेकर नौकरी के ऑफर कार्ड देकर, नियुक्ति पश्चात् प्रतिमाह 12,200 रूपये वेतन एवं पी.एफ. मेडिकल सुविधा एवं प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत वेतन वृद्धि की योजना बताया गया।

आरोपी संदीप मेश्राम द्वारा एक सप्ताह के अंदर सीसीटीएनएस प्रशिक्षण के लिए बुलाये जाने का आश्वासन देकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम्प्युटर सिस्टम खरीदने के लिए 25,000–25,000 रूपये लगेगा और उक्त रकम को पोखराज देवांगन, संजय राजपूत, तरूण राजपूत के पास नगदी या खाता के माध्यम से जमा करा दिये जाने के लिए बोलकर सभी व्यक्तियों का बारी–बारी से इंटरव्यु लेकर दिनांक 17.07.2020 को फिर आने कहकर वापस भेज दिया गया। जिसके पश्चात् सभी व्यक्ति संदीप मेश्राम के नियत किये गये दिनांक में आर.जे. एन. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के ऑफिस में गये जहॉ सभी व्यक्तियों को सीसीटीएनएस योजना के तहत् एफआईआर कैसे की जाती है, एन्ट्री कैसे की जाती है आदि का प्रशिक्षण देकर सभी व्यक्तियों को 25,000–25,000 रूपये पोखराज देवांगन, संजय राजपूत एवं तरूण राजपूत के पास जमा करने के लिए बोला गया। जिसके बाद सभी व्यक्तियों के द्वारा ऑनलाईन, खाता मे एवं नगदी रकम पोखराज देवांगन, संजय राजपूत एवं तरूण राजपूत को 25,000–25,000 रूपये दिया गया। जिसके बाद संदीप मेश्राम द्वारा आवेदकगण के मोबाईल व्हाटसएप्प नंबर में दिनांक 17.08.2020 को ज्वाईनिंग लेटर भेजा गया। ज्वाईनिंग लेटर में आवेदकगणों को जिला कबीरधाम के अलग–अलग थाना एवं चौकी में सीसीटीएनएस ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति होना एवं दिनांक 15. 08.2020 तक ज्वाईनिंग किये जाने के संबंध में उल्लेख था। बाद में आवेदकगणों को पता चला कि पुलिस विभाग में जिला कबीरधाम अंतर्गत इस प्रकार का कोई नियुक्ति हेतु प्रक्रिया नहीं की जा रही है। जिस पर आवेदकगण द्वारा जिला कबीरधाम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं थानों/चौकियों से भी जानकारी लेने पर इस प्रकार से सीसीटीएनएस कार्य हेतु कम्प्युटर ऑपरेटर की भर्ती/नियुक्ति हेतु कोई प्रस्ताव नहीं होना बताया गया।

अपने साथ हुए धोखाधड़ी के संबंध में पता चलने पर आवेदकगण द्वारा थाना कवर्धा में आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज करने लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया। जिसकी जांच उपरांत श्री कन्हैया लाल ध्रुव, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम से मार्गदर्शन प्राप्त कर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 420,197,34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी कवर्धा को शीघ्र विवेचना करते हुए कंपनी के संचालक संदीप मेश्राम एवं इनक अन्य साथियों संजय राजपूत, तरूण राजपूत, पोखराज देवांगन की शीघ्र

पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर श्री अनिल कुमार सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री बी.आर. मण्डावी उप पुलिस अधीक्षक अजाक/मुख्यालय जिला कबीरधाम के निर्देशन में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी कवर्धा निमितेश सिंह द्वारा थाना कवर्धा एवं तकनीकी शाखा संयुक्त टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी की गयी। जिस पर आरोपी संदीप मेश्राम, संजय राजपूत, तरूण राजपूत एवं पोखराज देवांगन कुल 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर आर.जे.एन. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के ऑफिस से कम्प्युटर सिस्टम, लेपटॉप, फर्नीचर, नगदी रकम 93,000 रूपये एवं दस्तावेजों को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया हैं। उक्त मामले में संलिप्त आरोपियों से गहन पुछताछ किया जा रहा मामले में अन्य लोगों की संलिप्ता पाये जाने से उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किया जावेगा। इस प्रकार संपूर्ण कार्यवाही में श्री कन्हैया लाल ध्रुव पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, श्री अनिल कुमार सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं श्री बी.आर.मण्डावी उप पुलिस अधीक्षक अजाक, कबीरधाम के मार्गनिर्देशन में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी कवर्धा निमितेश सिंह परिहार के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक संजय मेरावी, चंद्रकांत तिवारी, उमा बल्ले, प्रधान आरक्षक चुम्मन साहू, आरक्षक देवनारायण चंद्रवंशी, आकाश राजपूत, मनीष कुमार, गज्जू सिंह राजपूत, राजेश्वर कोसरिया, सैनिक अनिल पाण्डेय द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

आरोपी –

01. **संदीप मेश्राम पिता शरद मेश्राम, निवासी वार्ड नंबर 04 मेरेगांव के पास अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव,**
02. **पोखराज देवांगन पिता रामचंद देवागंन निवासी चचेढ़ी थाना पिपरिया जिला कबीरधाम हाल– चुना भठ्ठी के पास गुढ़ियारी रायपुर,**
03. **संजय राजपूत पिता पंचू सिंह राजपूत निवासी ग्राम दामापुर थाना कुण्डा जिला कबीरधाम हाल–चूना भठ्ठी के पास गुढ़ियारी रायपुर,**
04. **तरूण राजपूत निवासी ग्राम दामापुर थाना कुण्डा जिला कबीरधाम हाल– अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)**

जिला पुलिस कबीरधाम

- जिला कबीरधाम के थानों में सीसीटीएनएस ऑपरेटर की फर्जी नियुक्ति किये जाने के मामले में 04 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे।
- आरोपियों द्वारा सुनियोजित ढंग से बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का झांसा देकर ऑपरेटरों की फर्जी नियुक्ति की जा रही थी।
- जिला कबीरधाम के स्थानीय 16 युवाओं नौकरी में चयनित करने के लिए 25,000–25,000 रूपये।
- मामले में 16 आवेदकों से करीबन् 4.00 लाख रूपये लेकर किया धोखाधड़ी।
- आरोपी के द्वारा संचालित किये गये कार्यालय से कम्प्युटर, लेपटॉप, फर्नीचर एवं नगदी रकम 93,000 रूपये को किया गया जप्त, आरोपियो को भेजा न्यायिक रिमांड पर।

थाना कोतवाली,कवर्धा में जिला कबीरधाम के स्थानीय आवेदकगण पिन्टू कौ"ाक, ओमप्रका"ा साहू, तेजराम मेरावी एवं अन्य साथियों ने शिकायत दर्ज कराया कि आज से करीब 02 माह पूर्व इसके परिचित के मित्र पोखराज देवांगन द्वारा बताया कि आर.जे.एन. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड को सीसीटीएनएस कार्य हेतु जिला कबीरधाम के सभी न्यायालय एवं थाना में डाटा ऑपरेटर की नियुक्ति कराये जाने का अनुबंध प्राप्त हुआ है, जिसके लिए डिप्लोमाधारी व्यक्तियों का चयन किया जाना है। पोखराज देवांगन ने बताया कि वह भी आर.जे.एन. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से रायपुर रेल्वे माल गोदाम में नौकरी लगा है। उक्त कंपनी के संचालक संदीप मेश्राम द्वारा कोई परिचित व्यक्ति हो तो अवगत कराये जाने कहा गया है। इस पर जिला कबीरधाम निवासी आवेदकगण पिन्टू कौ"ाक ,ओमप्रकाश साहू ,तेजराम मरावी, हरि कौशिक,बांके लाल कौशिक, धनंजय चंद्रवंशी ,सुनील चंद्रवंशी ,देवेन्द्र शर्मा, आकाश पटेल, अरूण मारकण्डेय,फागू राम साहू, मुकेश साहू द्वारा पोखराज देवांगन के बताये अनुसार दिनांक 23.06.2020 को आर.जे.एन.इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के ऑफिस बोरसी रोड न्यू कलकत्ता स्वीट्स के बाजू दुर्ग गये। वहां आर.जे.एन. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का संचालक संदीप मेश्राम के द्वारा सभी व्यक्तियों का बायोडाटा, टाईपिंग टेस्ट लेकर सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड लेकर नौकरी के ऑफर कार्ड देकर, नियुक्ति पश्चात् प्रतिमाह 12,200 रूपये वेतन एवं पी.एफ. मेडिकल सुविधा एवं प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत वेतन वृद्धि की योजना बताया गया।

आरोपी संदीप मेश्राम द्वारा एक सप्ताह के अंदर सीसीटीएनएस प्र"ाक्षण के लिए बुलाये जाने का आ"वासन देकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम्प्युटर सिस्टम खरीदने के लिए 25,000–25,000 रूपये लगेगा और उक्त रकम को पोखराज देवांगन, संजय राजपूत, तरूण राजपूत के पास नगदी या खाता के माध्यम से जमा करा दिये जाने के लिए बोलकर सभी व्यक्तियों का बारी–बारी से इंटरव्यु लेकर दिनांक 17.07.2020 को फिर आने कहकर वापस भेज दिया गया। जिसके पश्चात् सभी व्यक्ति संदीप मेश्राम के नियत किये गये दिनांक में आर.जे. एन. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के ऑफिस में गये जहॉ सभी व्यक्तियों को सीसीटीएनएस योजना के तहत् एफआईआर कैसे की जाती है, एन्ट्री कैसे की जाती है आदि का प्रशिक्षण देकर सभी व्यक्तियों को 25,000–25,000 रूपये पोखराज देवांगन, संजय राजपूत एवं तरूण राजपूत के पास जमा करने के लिए बोला गया। जिसके बाद सभी व्यक्तियों के द्वारा ऑनलाईन, खाता मे एवं नगदी रकम पोखराज देवांगन, संजय राजपूत एवं तरूण राजपूत को 25,000–25,000 रूपये दिया गया। जिसके बाद संदीप मेश्राम द्वारा आवेदकगण के मोबाईल व्हाटसएप्प नंबर में दिनांक 17.08.2020 को ज्वाईनिंग लेटर भेजा गया। ज्वाईनिंग लेटर में आवेदकगणों को जिला कबीरधाम के अलग–अलग थाना एवं चौकी में सीसीटीएनएस ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति होना एवं दिनांक 15. 08.2020 तक ज्वाईनिंग किये जाने के संबंध में उल्लेख था। बाद में आवेदकगणों को पता चला कि पुलिस विभाग में जिला कबीरधाम अंतर्गत इस प्रकार का कोई नियुक्ति हेतु प्रक्रिया नहीं की जा रही है। जिस पर आवेदकगण द्वारा जिला कबीरधाम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं थानों/चौकियों से भी जानकारी लेने पर इस प्रकार से सीसीटीएनएस कार्य हेतु कम्प्युटर ऑपरेटर की भर्ती/नियुक्ति हेतु कोई प्रस्ताव नहीं होना बताया गया।

अपने साथ हुए धोखाधड़ी के संबंध में पता चलने पर आवेदकगण द्वारा थाना कवर्धा में आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज करने लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया। जिसकी जांच उपरांत श्री कन्हैया लाल ध्रुव,

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम से मार्गदर्शन प्राप्त कर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 420,197,34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी कवर्धा को शीघ्र विवेचना करते हुए कंपनी के संचालक संदीप मेश्राम एवं इनक अन्य साथियों संजय राजपूत, तरूण राजपूत, पोखराज देवांगन की शीघ्र पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर श्री अनिल कुमार